निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय द्वारा आबंटित सरकारी निवास की स्वीकृति

Form of Acceptance of Department Residence of Accommodation
Alloted by the Directorate of Construction, Services & Estate Management

1. आबंटिती का नाम/Name of the allottee
2. पदनाम/Designation
3. प्रभाग/यूनिट/Division/Unit
4. वर्तमान पता/Present Address with date of occupation

5. कंप्यू.को.सं./Comp.No.
6. कर्मचारी सं./ Emp.No.
7. जन्मतिथि/Date of Birth

8. प्राथमिकता तिथि की गणना हेतु रक्षा/राज्य/केंद्रीय सरकार की सेवा में आरंभिक नियुक्ति एवं पिछली सेवा की तिथि
Date of initial appointment & past service in Defence/State/Central Government services for the purpose of counting Priority date

From से to तक

9. (a). प्रशिक्षण विद्यालय/कार्य-प्रभारित/नियत कालिक नियुक्ति में कार्य ग्रहण की तारीख
Date of Joining Training School/ Work charged/FTA

(b) पऊवि/संघटक यूनिट में प्रथम नियुक्ति की तारीख
Date of regular appointment in DAE/ Constituent Unit of DAE

10. 1 अप्रिल 2022 को वेतन बैंड मे वेतन
Pay in the Pay Band as on 1st April, 2022 ₹

11. 1 अप्रिल 2022 को वेतन का लेवल
Level Pay as on 1st April, 2022 ₹

12. वेतन बैंड में वर्तमान वेतन
Present Pay in Pay Band ₹

13. बृहतमुंबई या निकटवर्ती नगरपालिका में अपने नाम या अपनी पत्नी/पति या अन्य आश्रित संतान के नाम निजी मकान का ब्यौरा/Details of house owned in Greater Mumbai or in the adjoining Municipalities in his/her name of his/her wife/husband or other dependent children.

14. क्या आप स्थायी हैं या अस्थायी/Whether Permanent/Temporary

15. यदि अस्थायी हैं तो उस केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का ब्यौरा दें जिसने प्रतिभूति दी है/If temporary, particulars of the Permanent Central Govt. Servant from whom surety bond obtained and furnished.

प्रतिभू का नाम/Name of Surety	पदनाम/Designation	यूनिट/Unit

16. क्या आपको कभी सरकारी आवास के आबंटन से प्रतिबंधित किया गया है, यदि हाँ तो उसका विवरण दें/Whether debarred from allotment of Govt. accommodation, if so give details.

17. मैं दिनांक के आबंटन आदेश सं. जो मुझे तारीख को प्राप्त हुआ, में यथावर्णित आबंटन की शर्तों को एतद्द्वारा स्वीकार करता हूँ/ I hereby accept the terms & conditions of allotment as per Allotment Order No._____ dated _____ received on _____.

18. मैं प्रमाणित करता हूँ कि क्रमांक 1 से 16 तक दी गई सूचना मेरी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है/I certify that the information furnished against Sr.No.1 to 16 is correct to the best of my knowledge and belief.

19. मुझे या मेरी पत्नी/मेरे पति को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय या अन्य किसी विभाग/अंर्ध सरकारी संस्थान या स्थानीय निकाय इत्यादि (केवल नए आबंटिती के लिए लागू) द्वारा आज तक कोई अन्य सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया है/No other Govt. accommodation is allotted to me or my wife/husband on date by DCS&EM or any other Department/Semi-Govt. Organisation local bodies etc. (Applicable only to fresh allottee)

20. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने गृ.नि.अ.(गृह निर्माण अग्रिम) नहीं लिया है और न ही बृहतमुंबई या उसकी निकटवर्ती नगरपालिका में अपने नाम कोई मकान खरीदा/बनाया है/I certify that I have not availed HBA (Housing Building Advance) and acquired/constructed a house of my own in Greater Mumbai or adjoining Municipalities.

21. मैंने अच्छी तरह समझ लिया है कि भागीदारी हेतु आवेदन पर बिना अंतराल के एक साल तक सरकारी आवास पर कब्जा रहने के पश्चात ही विचार किया जाएगा और उसके बाद भी भागीदार रखने से पहले पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी/I understand that applications for sharing will be entertained only after one year of occupation of departmental accommodation without break and further prior permission shall be obtained before including a sharer.

22. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यदि किराए से होने वाली मेरी आय ₹12,000/- प्रतिमाह से अधिक होती है तो इस संबंध में विभाग को सूचित करुँगा/I also certify that I will intimate the Department regarding my rental income, if it exceeds ₹12,000/- p.m.

घोषणा/DECLARATION

आबंटिती का नाम/Name of Allottee	पदनाम/Designation	प्रभाग/यूनिट/Division / Unit

आबंटित फ्लैट सं. एवं बिल्डिंग _____ के संदर्भ में, मैं अपने परिवार के सदस्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करता हूँ जो आबंटित आवास में मेरे साथ रहेंगे।

With reference to the allotment of Flat No. & Bldg. _____ I furnish herewith the details of family members who would be occupying the flat allotted to me.

क्र.सं. Sr. No.	नाम/Name	संबंध Relationship	आयु Age	वैवाहिक स्थिति/ Marital Status	क्या अं.स्वा.से. योजना के अंतर्गत पंजीकृत है/ Whether registered under CHSS	जिस कार्यालय में काम करते हो उसका पिन कोड सहित पूरा पता/Office in which employed along with complete postal address with pin code	क्या मकान किराया भत्ता प्राप्त करते है या नहीं/ Whether Drawing HRA or not

1) मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे साथ रहने वाला मेरे परिवार को कोई भी सदस्य राज्य सरकार/ केंद्र सरकार/राज्य का सरकार का उपक्रम/केंद्र सरकार का उपक्रम/स्वायत्त संस्था/अर्ध सरकारी संस्थाए जैसे कि नगरपालिका/पोर्ट-ट्रस्ट इत्यादि में काम नहीं करता है।

I hereby declare that none of my family members who are staying with me are employed in State Government / Central Government / State Public Sector Undertaking / Central Public Sector Undertaking / Autonomous bodies / Semi Govt. Organisations such as Municipality / Port Trust, etc., as on this date.

या/OR

..... में काम करता है और उसे मकान किराया भत्ता मिलता है/नहीं मिलता है।

_____ is Employed in _____ & is / is not drawing HRA.

2) मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में जब कभी भी मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को ऊपर उक्त्लखित संस्था में काम मिलेगा तो उसकी सूचना निसेसंप्रनि को दूँगा/I undertake to submit necessary intimation to DCS&EM, in future as and when any of my family members as mentioned above gets employment in the above mentioned organisations.

वचनबंध/UNDERTAKING

1. मुझे मालूम है कि मेरे आवेदन पत्र में दी गई सूचना के आधार पर यह प्राथमिकता सूची बनाई गई है तथा उसके अनुसार ही मुझे यह आबंटन प्राप्त हुआ है। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि गलत निकली तो ऐसी कस्थति में मेरा यह आबंटन रद्द कर दिया जाएगा और मेरे खिलाफ यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी।

I am fully aware that this allotment is made to me as per the priority list prepared based on the information furnished in my application for the same and that allotment will be cancelled as well as action as deemed fit will be taken in the event of any information furnished by me is found incorrect.

2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि सरकारी गृह निर्माण अग्रिम अथवा आय के अन्य स्रोत (स्रोतों) से मुंबई महानगर अथवा मुंबई महानगर के निकटवर्ती क्षेत्र में मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कोई मकान अथवा उसका कोई हिस्सा मेरे पास नहीं है।

I hereby certify that I do not own a house or part thereof either in my own name or in the name of family members of my family in Mumbai Metropolitan or adjoining Mumbai Metropolitan area with the assistance of House Building Advance drawn from Government or with other source(s) of income.

3. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मैं अथवा मेरे परिवार का कोई सदस्य भविष्य मे जब भी मुंबई महानगर क्षेत्र में मकान अथवा उसके हिस्से का मालिक बनेगा तो मालिक बनने की तिथि से एक महिने के भीतर मैं निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय को सूचित करूँगा/करुँगी।

I undertake to inform the Directorate of Construction, Services & Estate Management when I or any member of my family becomes owner of a house or a part thereof in future in Mumbai Metropolitan area within one month from the date of becoming such owner.

4. क) मैंने मकान/फ्लैट, गृह निर्माण अग्रिम/वित्त के अन्य स्रोतों से लिया है। मैं एतद्द्वारा वचनबंध देता हूँ कि मुझे सरकारी आवास के आबंटन मिलने पर, मैं अपना फ्लैट सरकार को तत्काल वापस कर दूँगा।

a) I have acquired a house/Flat with HBA/with other source(s) of finance. I hereby undertake to surrender my flat to Government immediately on allotment of Government accommodation to me, if required as per rules.

ख) इस संबंध में निम्नलिखित घोषणा नीचे दी गई है/Following declaration is furnished in this connection :

सरकारी कर्मचारी/पति/पत्नी/परिवार के सदस्यों के बृहतमुंबई या निकटवर्ती नगरपालिका के मकान का विवरण:
Details of House Owned by the Govt. Servant/Spouse/Family members in Greater Mumbai or in the adjoining Municipalities:

मकान का पूरा पता/ LOCATION OF THE HOUSE (Full Postal Address of the House)	मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)/ Area of the House (Sq.mtr.)	मकान मालिक का नाम एवं सरकारी कर्मचारी के साथ संबंध/Name of the owner and the relationship with the Govt. Servant
मकान खरीदने की तिथि (यदि तैयार मकान खरीदा है)/ Date of Purchase of house (if ready purchase)	निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि/ Date of Completion of Construction	मकान का कब्जा लेने की तिथि/ Date of Occupation of the House
मकान कर के निर्धारण हेतु नगर पालिका/पंचायत द्वारा निर्धारित कर योग्य मूल्य (मकान कर की रसीद/बिल संलग्न करें)/Rateable value of the house taken by the Municipality/Panchayat for determining House Tax (Pl. enclose the House Tax Receipt/Bill)	क्या मकान किराए पर दिया है? यदि हाँ, तो किस तारीख से दिया है/Has the house been rented out? If so, the date from which it is rented out.	मकान किराया प्रति माह (पट्टा करार संलग्न करें)/Rent received per month (Pl. enclose the lease agreement)

कृपया आबंटिती नोट करें/Allottees to Note :

1. पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए/All the details should be furnished.
2. पट्टे के करार के दस्तावेज व मकान कर की रसीद की प्रतियाँ संलग्न करें/Copies of Lease deed, House Tax, Receipt should be enclosed.

आबंटिती का हस्ताक्षर/Signature of Allottee :

नाम/Name :

कंप्यू.को.सं./Comp.No. :

Email ID :

टेलीफोन सं.Tel:No. :
(यदि हो तो/if any)

दिनांक/Date :

PERSONAL DATA

COMPUTER NO. / /

NAME IN BLOCK LETTERS

EMPLOYEE NO

DESIGNATION (Present)

DIVISION

UNIT

DATE OF BIRTH (D D M M Y Y Y Y)

BELONGS TO : SC ☐ ST ☐

JOINED AS	DATE OF JOINING TRG. SCHOOL / TRG. SCHEME/WC/FTA	DATE OF ABSORPTION / JOINING IN DAE	Date of Regular Appointment in DAE
	D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y	D D M M Y Y Y Y

Pay in the Pay Band, As on 01/04/2022 ₹

Level Pay as on 01/04/2022 ₹

Date of Acquiring pay level as below :

Level	D D	M M	Y Y Y Y
Level 9/10			
Level 11			
Level 12			
Level 13			
Level 13-A			
Level 14			
Level 15			
Level 16			

DECLARATION

I agree to abide by the Allotment of Government Residence (DAE) Mumbai Rules 1982 and as amended from time to time and instructions issued there under. I certify that the information furnished above are correct and I am aware that action as deemed fit will be taken in the event of any information found incorrect.

Date: _____

Signature of Applicant

Contact Tel. No: _____

Email ID: _____

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग/DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES & ESTATE MANAGEMENT

आवास का आबंटन-आबंटन की शर्तें/Allotment of Residential Accommodation
Terms and Conditions of Allotment

1. आबंटित आवास संबंधित कर्मचारी और उनके परिवार, जैसा कि आबंटन नियमावली में परिभाषित किया गया है, के केवल आवासीय प्रयोजन के लिए है/The residence allotted is for occupation by the officer and his/her family as defined in Allotment rules for bonafide residential use only.

2. बिजली की खपत करने पर टीपीसीएल/आरईएल द्वारा समय-समय पर लागू दरसूची (टैरीफ) के तहत लगाए गए प्रभार, बृहत् मुंबई नगरपालिका द्वारा (i) जल प्रभार (ii) अन्य सेवा संबंधी प्रभार को आबंटिती से वसूल किया जाएगा I/Charges on account of (i) Power Consumption (ii) Water charges (iii) any other service taxes, by the Municipal Corporation of Greater Mumbai will be levied and recovered from the allottee.

3. यदि किसी कर्मचारी की पत्नी या पति, जैसी भी कस्थति हो, को पहले से ही सरकारी आवास आबंटित है, तो उसे आवास-आबंटन नियमों के अंतर्गत तब तक आवास आबंटित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आवास सुपुर्द नहीं कर देता I/No officer shall be allotted a residence under these rules, if the wife or the husband as the case may be, of the officer has already been allotted a residence, unless such residence is surrendered.

4. इन नियमों के अंतर्गत जहां दो कर्मचारी आबंटित अलग-अलग निवास पर कब्जा किए हुए हैं, आपस में विवाह कर लेते हैं तो वे अपने विवाह से एक महीने के अंदर कोई भी एक आवास सुपुर्द कर देंगे I/Where two officers in occupation of separate residence allotted under these rules marry each other, they shall within one month of marriage surrender one of the residence.

5. आबंटिती या उनके परिवार के किसी भी सदस्य और उनके नौकर को जिसे आवास का कब्जा धारण करने की अनुमति दी गई है को आवास के अंदर या उसके आसपास और निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय की अधिकारिता में आने वाले उसके परिवेश में किसी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह की किसी गतिविधियों के लिए आबंटिती को पूर्ण रुप से जिम्मेदार माना जायेगा I/No trading or any business by the allottee or the member of his/her and servants who are permitted to occupy the residence shall be allowed in or around the residence and its surrounding, under the control of Directorate of Construction, Services & Estate Management. Allottee shall be deemed fully responsible for any such activity.

6. आबंटित आवास का उपयोग आवासीय प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। आबंटिती या उनके परिवार के सदस्य का उनके नौकर या उनके साथ रहने वाला अन्य कोई व्यक्क्त निवास के अंदर या उसके आसपास या निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय की अक्ष्यकारिता में आनेवाले उसके परिवेश में किसी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। ऐसी कोई भी गतिविधि पाई जाने पर आबंटिती को उसका उत्तरदायी माना जाएगा। इस तरह की किसी गतिविधियों के लिए आबंटिती को पूर्ण रुप से जिम्मेदार माना जायेगा I/A residence allotted shall be used only for residential purpose and not for any other purpose. Allottee or member of his/her family or servant or any one staying with allottee shall not indulge in any political activity in or around the residence or its surrounding area under the control of the Directorate of Construction, Services & Estate Management. Allottee shall be deemed responsible for any such activity.

7. आवास के कब्जे की सुपुर्दगी/ग्रहणता निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से की जाएगी I/Handing over/taking over possession of residence shall be made through an authorised representative of DCS&EM.

8. स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, विशेष छुट्टी, असाधारण छुट्टी इत्यादि के कारण आबंटिती का शहर से बाहर जाने की कस्थति में सरकारी आवास का प्रतिधारण निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित आदेशों से नियंत्रित होगा I/Retention of Government accommodation in the event of allottee proceeding out of station on account of transfer, deputation, Special leave, Extra-ordinary leave etc. will be subject to order that may be prescribed by the DAE/Directorate of Construction, Services & Estate Management from time to time.

9. यदि परमाणु ऊर्जा विभाग या मुंबई स्थित उसके किसी संघटक यूनिट में कर्मचारी का नियोजन समाप्त हो जाता है तो आवास आबंटन नियम के अंतर्गत स्वीकार्य प्रतिधारण की छुट्टी की अवधि समाप्त हो जाने पर यह आबंटन आदेश स्वत: रद्द हो जाएगा या रद्द समझा जाएगा। अप्राधिकृत अनुपक्स्थति के मामले में अनुज्ञेय अवधारण अवधि, अप्राधिकृत अनुपक्स्थति की तिथि से एक माह की होगी।/ This allotment order will automatically stand cancelled or is deemed to have cancelled after the expiry of the concessional period admissible under the rules if the officer ceases to be an employee of DAE or its constituent units located in Mumbai. The permissible retention period, in case of unauthorised absence will be one month from the date of unauthorised absence.

10. यदि कोई सरकारी आवास कर्मचारी के कब्जे में पहले से ही हो, तो उसे नए आवास कब्जा लेने के अगले दिन अपराह्न के पश्चात अपने कब्जे में नहीं रखना चाहिए। ऐसा न करने पर नए आवास के लाइसेंस शुल्क की सामान्य दर के अतिरिक्त पुराने आवास की प्रतिधारण की अवधि के लिए मार्केट दर से लाईसेंस शुल्क देय होगा।/Departmental accommodation occupied, if any should not be retained after the afternoon of the day subsequent to the date of occupation of the new accommodation. If that is done, damage rate of licence fee will be payable for such period in addition to normal recoveries.

11. यदि आबंटिती की असावधानी के कारण आवास और उससे संबंधित किसी वस्तु को क्षति पहुँचती है तो उसकी मरम्मत का खर्च आबंटिती से वसूल किया जाएगा।/Expenditure on repairing damages, if any to the residence and its fixture caused for want of proper care on the part of allottee shall be recoverable from the allottee.

12. जिस कर्मचारी को निवास आबंटित किया गया है, यदि वह स्थाई अथवा स्थायीवत् नहीं है तो उसे इस निदेशालय द्वारा निर्धारित फार्म में प्रतिभू-बंधपत्र भर कर देना होगा।/Where the officer to whom a residence has been allotted is neither a permanent nor a quasi permanent Government servant, he shall execute a surety bond in the form prescribed in this behalf by this Directorate.

13. अधिकारी किसी भी समय आबंटन सुपुर्द कर सकता है, लेकिन उसे निवास खाली करने की सूचना इस निदेशालय को कम से कम 10 दिन पहले देनी होगी। ऐसी सूचना न मिलने तक यह समझा जाएगा कि आबंटिती ने आवास पर कब्जा धारण किया हुआ है। यदि सूचना 10 दिन से कम समय में मिलती है तो शेष दिनों के लिए लाइसेंस फी वसूल किया जाएगा।/An officer may at any time surrender an allotment by giving notice so as to reach the DCS&EM at least 10 days in advance before the date of vacation of the residence. Untill such notice is received the allottee shall deemed to be in occupation of residence. If the notice falls short of 10 days, licence fee shall be recovered for the number of days it falls short.

14. a) जिस कर्मचारी को आवास आबंटित किया गया है, वह आवास व उसके आस पास की जगह को स्वच्छ अवस्था में रखेगा ताकि निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय और बृहत् मुंबई महानगरपालिका भी संतुष्ट हो ।/The Officer to whom the residence has been allotted shall maintain the residence and the Premises in a clean condition to the satisfaction of the Directorate of Construction, Services & Estate Management and also Brihan Mumbai Municipal Corporation(BMC).

b) आबंटिती यथावश्यक लाइसेंस के तहत पालतू कुत्ते या बिल्ली के अतिरिक्त मवेशी, मूर्गी या अन्य कोई पशु नहीं रखेगा।/An allottee shall not keep Cattle, Poultry and any other animal, except pet dogs or cat with licence, where necessary.

c) आबंटिती बिल्डिंग के आसपास साग-सब्जी या वृक्ष नहीं लगाएगा ।/An allottee shall not grow vegetable trees, or plantations around the building.

d) जीनों, सीढ़ियों और सामान्य रास्तों, सर्विस शाफ्टों के ऊपर कोई सामान न रखें।/No article shall be kept on the staircases, landing and common passages, services shafts.

15. भवन का अनुरक्षण, मरम्मत व परिवर्तन का कार्य निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय के अधीन है। निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय के प्राधिकृत स्टाफ या निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय द्वारा लिखित रुप में प्राधिकृत स्टाफ को आवास में प्राधिकृत मरम्मत कार्य के लिए कभी-भी उचित समय पर प्रवेश करने दिया जाएगा। मरम्मत कार्य में बाधा उत्पन करने पर आवास जब्त हो सकता है।/ The buildings are in the charge of Director, DCS&EM for the purpose of maintenance, repairs and alteration. The authorised staff of the DCS&EM in writing engaged by DCS&EM shall at all reasonable times be allowed access to the residence to carry out authorised works. Failure to permit the work to be carried out may ential forfeiture of the allotment.

16. निदेशक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना आवास में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।/No additions or alterations in the residence shall be made without prior approval of the Director, DCS&EM.

17. आबंटित निवास व उसके आसपास का क्षेत्र निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय के अधिकारियों द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य यूनिट के किसी अधिकारी और मुंबई नगरपालिका के अधिकारियों के निरीक्षणाधीन है।/The residence allotted and its surrounding are subject to inspection by the Officers of the DCS&EM or any officers of any other units duly authorised by DCS&EM for the purpose and by officers of BMC.

18. a) निवास को या उसके किसी भाग को पूर्व अनुमति के बिना लाभसहित अथवा लाभरहित किराएदारी पर देना अथवा भागीदारी करना नियमों का उल्लंघन है और उसका परिणाम यह होगा कि आबंटिती को बिना सूचना के तत्काल मकान खाली करना होगा।/Subletting with or without consideration or sharing of a residence or part thereof without prior permission is violation of Rules and will result in immediate eviction of the allotment without notice.

b) निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय द्वारा पृथक रुप से बनाए हुए संबंधित नियमों के अनुसार और प्रविष्ट की जाने वाली कोई भी शर्त के अधीन आवास की भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।/Permission for sharing of accommodation may be granted by the DCS&EM in accordance with the rules made separately in this regard and subject to such terms and conditions as may be prescribed.

19. यह निदेशालय अपने कर्मचारियों द्वारा फ्लैट में अनधिकृत कब्जाधरियों का पता लगाने के लिए उसकी जाँच करने और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम,1971 में यथानिर्धारित आवश्यक कार्रवाई करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।/The Directorate reserves the right to check the flat for finding out the unauthorised occupancy by officers of DCS&EM and take necessary action as provided in Public Premises (Eviction of Unauthorised occupants) Act, 1971.

20. निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय आबंटिती को वैकक्ल्पक आवास आबंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वैकक्ल्पक आवास के आबंटन का आदेश मिलने की तारीख से 8 दिन के अंदर बदली न करने पर आबंटिती बेदखली का भागी होगा।/ The DCS&EM reserves the right to allot alternative accommodation to the allottee. Failure to shift to the alternative accommodation within 8 days from the date of receipt of the order allotting alternative accommodation will render the allottee liable for eviction.

21. मुख्य प्रशासन अधिकारी, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय 30 दिन का बिना कारण बताए नोटिस देकर आबंटन आदेश रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखतें हैं।/ Chief Administrative Officer, DCS&EM reserves the right to cancel the order of allotment without assigning any reason(s) on giving 30 days notice.

22. यदि आबंटित उपर्युक्त किसी भी शर्त को या समय-समय पर जारी की जाने वाली ऐसी किसी शर्त को मानने में असफल रहता है तो उसका आबंटित आवास जब्त हो जाएगा।/The allotment will stand cancelled if the allottee fails to observe any of the condition in the preceding paragraphs and such others as may be issued from time to time.

23. मकान के गिरने या अन्य किसी दुर्घटना के कारण किसी भी निवासी को होने वाली हानि या क्षति के लिए निदेशालय बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं होगा।/The Directorate will in no way be responsible for any loss or damage suffered by any resident due to any mishap or otherwise occurring to him/her.

24. ऐसे अधिकारियों जिनका मकान स्थानीय नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र या किसी निकटवर्ती नगरपालिका के अंदर है एवं जो विभागीय आवास का कब्जा लेनेवाले हैं, से लाइसेंस शुल्क, शहरी विकास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) द्वारा समय-समय पर संशोधित एवं जारी आदेशों के अनुसार नियमित किया जाएगा । वर्तमान स्लॅब रेट निम्नानुसार है :- Officers who are owing houses situated within the jurisdiction of local municipality or of any adjoining municipality & who may be in possession of departmental accommodation, the recovery of licence fee will be regulated as per Ministry of Urban Development (Directorate of Estate) amended from time to time. The existing slab rates are as under :

a) यदि स्वयं के मकान से आय ₹ 12,000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं हैं तो सामान्य लाईसेंस शुल्क वसूला जाएगा।/If income from own house does not exceed ₹ 12,000/- per month, normal licence fee shall be charged.

b) यदि स्वयं के मकान से आय ₹ 12,000/- प्रतिमाह से अधिक परंतु ₹ 20,000/- प्रतिमाह से कम हैं तो सामान्य लाईसेंस शुल्क की दुगुनी राशि वसूली जाएगी।/ If income from own house exceeds ₹ 12,000/- per month but does not exceed ₹ 20,000/- per month, twice the normal licence fee shall be charged.

c) यदि आय ₹ 20,000/- प्रति माह से अधिक होती है तो सामान्य लाईसेंस शुल्क की तिगुनी राशि वसूली जाएगी।/If income exceeds ₹ 20,000/- per month, thrice the normal licence fee shall be charged.

यदि आबंटिती सरकारी आवास का कब्जा लेने के पश्चात अपनी पत्नी/अपने पति या अपने आश्रित बच्चे के स्वामित्व में कोई आवास लेता है तो लाईसेंस शुल्क की वसूली वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार नियमित होगी।/If the allottee owns accommodation in his name, spouse or dependent children, subsequent to occupation of the departmental accommodation, the licence fee recovery shall be regulated as per the instruction of Ministry of Finance from time to time.